

संचिका संख्या:- 09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022-376

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक...10/03/2024

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद में स्वीकृत 01 करोड़ (एक करोड़) रुपये मात्र की राशि की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :- विमुक्ति की स्वीकृति।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद में स्वीकृत राशि कुल- 01 करोड़ (एक करोड़) रुपये मात्र की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-673 दिनांक-23.03.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के संचालन एवं दिशा निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना है तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-1385 दिनांक-25.08.2021 द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" को वित्तीय वर्ष 2022-23 में विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त योजना अन्तर्गत बजट उपबंध के विरुद्ध पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या-48 दिनांक-18.06.2025 के द्वारा 1,00,00,000/- करोड़ (एक करोड़) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम माँग संख्या-11 के अन्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष 277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-13.01 कार्यालय व्यय विपत्र कोड-11-2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

5. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 अन्तर्गत मॉनिटरिंग कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद की राशि की अग्रिम निकासी BTC-26 के तहत अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के द्वारा किया जायेगा तथा इसका अन्तरण योजना के खाता संख्या-2039104000034797, IFSC Code-IBKL0002039 खाता का नाम Mukhyamantri BC-EBC Post Matric Chhatravriti Yojana 2023 में किया जायेगा।

6. मॉनिटरिंग हेतु व्यय किये गये राशि का समायोजन BTC-27 में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

7. विमुक्ति की जाने वाली राशि का उपयोग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत मॉनिटरिंग कार्य हेतु राज्य NIC पटना को उपलब्ध कराने हेतु किया जायेगा।

8. इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998, तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

Sar

Sar

9. अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्ययहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक-31.03.2026 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक डॉफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय।

10. पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश संख्या-09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022-670, दिनांक-12.08.2025 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

11. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. विमुक्त की जाने वाली राशि के व्यय के विकलन में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-48 दिनांक-18.06.2025 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. यह स्वीकृत्यादेश, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-03 और 5 (ख) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है।

14. इस विमुक्ति आदेश पर संचिका संख्या-09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022 के पृष्ठ संख्या-~~99~~ पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

15. इस विमुक्ति आदेश पर संचिका संख्या-09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022 के पृष्ठ संख्या-~~99~~ पर माननीय विभागीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

ह0/-

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022.... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022-~~376~~ पटना, दिनांक-~~10/03/2026~~

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA)/सभी जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/CFMS/DBT के नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/विभागीय लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या:- 09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022-670

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

399
399

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक 12.03.2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के अन्तर्गत मोनेटरिंग कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल स्वीकृत राशि ₹0 01 करोड़ (एक करोड़) रुपये मात्र के विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :- विमुक्ति की स्वीकृति।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-673 दिनांक-23.03.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के संचालन एवं दिशा निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना है तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-1385 दिनांक-25.08.2021 द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" को वित्तीय वर्ष 2022-23 में विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त योजना अन्तर्गत बजट उपबंध के विरुद्ध स्वीकृत्यादेश संख्या-48 दिनांक-18.06.2025 के द्वारा कुल राशि ₹0 01 करोड़ (एक करोड़) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम मॉडल संख्या-11 के अन्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष 277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-13.01 कार्यालय व्यय विपत्र कोड-11-2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

4. विभागीय आदेश सं0-09/छात्रवृत्ति-03/2019-250, दिनांक-29.07.2024 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित सभी छात्रवृत्ति/मेधावृत्ति योजना तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जिसका क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जाता है के राशि की निकासी एवं व्यय हेतु श्री बाल्मीकि कुमार, अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया। अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत पदाधिकारी मोनेटरिंग की राशि निकासी कर आवंटित किया जायेगा।

5. मोनेटरिंग हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी एवं इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेगी।

6. विमुक्ति की जाने वाली राशि का उपयोग मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल के रख-रखाव/कार्यालय व्यय एवं सभी जिलों को मॉडल के आधार पर राशि उपलब्ध कराने हेतु किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998, तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

8. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 की राशि DBT Mukhyamantri BC-EBC Post Matric Chhatravriti Yojana 2023 के नाम से खाता खोला गया है, जिसका खाता संख्या-2039104000034797, IFSC Code-IBKI0002039 है में जमा करेगे।

- 368
- 378
9. अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्ययहृत नहीं रखा जाय। राशि निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक-31.03.2028 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/भगद के रूप में नहीं रखा जाय।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-7366 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
11. विमुक्त की जाने वाली राशि के व्यय के विकलन में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-48 दिनांक-18.06.2025 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. यह स्वीकृत्यादेश, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कड़िका-03 और 5 (ख) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है।
13. इस विमुक्ति आदेश पर संचिका संख्या-09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022 के पृष्ठ संख्या-41 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।
14. इस विमुक्ति आदेश पर संचिका संख्या-09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022 के पृष्ठ संख्या-43 पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

ह0/-

(अमित कुमार पुष्पक)

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022... पटना, दिनांक-12.08.2025
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-09/पो0 मै0 छात्र0 (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022... पटना, दिनांक-12.08.2025
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA)/सभी जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/CFMS/DBT के नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/विभागीय लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०-पि०न०/पो०पी०छा०-३६-०८/२०१९-

20
204
158

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" अन्तर्गत मोनेटरिंग कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल राशि रु० 1.00 करोड़ (रु० एक करोड़) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत ।

विभागीय संकल्प संख्या-873, दिनांक-23.03.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के संचालन एवं विशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा विभागीय संकल्प संख्या-1385 दिनांक-25.08.2021 द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" को वित्तीय वर्ष 2022-23 से विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत उक्त योजना अन्तर्गत मोनेटरिंग कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल राशि रु० 1.00 करोड़ (रु० एक करोड़) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3-उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उप शीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-13.01-कार्यालय व्यय विपत्र कोड-11-2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

4-इस स्वीकृत राशि के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा तथा आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। विभागीय संकल्प संख्या-873 दिनांक-23.03.2023 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

5-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2581, दिनांक-17.04.1988 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सम्बन्धित निदेशों के आलोक में करेंगे।

6-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोबागाव से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जितना का वास्तविक उपयोग दिनांक-31.03.2026 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ब्याज/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय। उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

7-स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्ध योजना उद्ध्यय एवं घजट उपबंध के अंतर्गत है।

8-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक नित्य सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9-प्रस्ताव में प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

20
376
156

- 10-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस प्राप्ति की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।
11-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

क्रमांक- फि०क०/पो०मै०छा०-38-08/2019-

पटना, दिनांक-

प्रतिरिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

क्रमांक- फि०क०/पो०मै०छा०-38-08/2019- 48. ✓

पटना, दिनांक-18/06/2025

प्रतिरिपि- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/25
सरकार के अपर सचिव।

(5)

पत्रांक : 09/पो0मै0छात्र0 (अनु0 एवं कार्या0 व्यय)-04/2022.2.8.8

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

ई-मेल

प्रेषक,

सज्जन आर0, *भा0प्र0से0*
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।

पटना, दिनांक 13/02/2026

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल स्वीकृत राशि रु 01 करोड़ (एक करोड़) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

प्रसंग :-

अवर सचिव, वित्त विभाग का पत्रांक-को0प्र0/ए0सी0-15/2022-1446,
दिनांक-10.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम मांग संख्या-11 के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप-मुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उप शीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-13 01-कार्यालय व्यय विपत्र कोड-11-2225032770101 के अधीन संदर्भित राशि रु 01 करोड़ की अग्रिम निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-766, दिनांक-23.01.2024 को शिथिल किया गया है।

अतः वर्णित स्थिति में विभागीय विमुक्ति आदेश संख्या-670 दिनांक-12.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वीकृत कुल रु 1,00,00,000/- (एक करोड़) राशि की विमुक्ति की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सज्जन आर0)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

पत्रांक :- 09/पो0मै0छात्र0 (अनु0 एवं कार्या0 व्यय)-04/2022.2.8.8 पटना, दिनांक - 13/02/2026

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-21 (लेखा शाखा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

पत्र सं०-को0प्र0/ए०सी०-15/2022...../

बिहार सरकार
वित्त विभाग

399

प्रेषक,

ऋषिकेश,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।

पटना, दिनांक-.....

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023" के अन्तर्गत मोनेटरिंग कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल स्वीकृत राशि ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग की छाया संचिका-09/पो०पै० छात्र० (अनुश्रवण एवं कार्यालय व्यय)-04/2022 द्वारा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-48, दिनांक-18.06.2025 द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, 2023 के अंतर्गत Monitoring कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल ₹1,00,00,000/- (एक करोड़) राशि की स्वीकृति के आलोक में शिक्षा विभाग के द्वारा विमुक्त्यादेश सं०-670, दिनांक-12.08.2025 द्वारा कुल ₹1,00,00,000/- (एक करोड़) राशि की विमुक्ति की स्वीकृति हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-766, दिनांक-23.01.2024 के शिथिलकरण का अनुरोध किया गया है।

2. समीक्षोपरान्त प्रशासी विभाग के प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम मांग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप-मुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उप शीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-13 01-कार्यालय व्यय विपत्र कोड-11-2225032770101 के अधीन संदर्भित राशि ₹1 करोड़ की अग्रिम निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-766, दिनांक-23.01.2024 को शिथिल किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ऋषिकेश),

सरकार के अवर सचिव।

446

ज्ञापांक- को. प्र. प्रति. / ए०सी०-15/2022 1446 पटना, दिनांक-10-02-22
हेतु प्रेषित । -सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

र.प.
10/02/22
(ऋषिकेश),

सरकार के अवर सचिव।